प्रकीर्ण वाद संख्या-144/2020 (एम.ए.सी.पी. सं. 268/2018)
श्रीमती वती आदि बनाम समयदीन आदि

01.10.2020

3 बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती वती देवी, नरेन्द्र, राहुल कुशवाहा एवं कु. अर्चना द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक-28.08.2020 को मुब. 7,93,938/- रु. मय 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज हेतु एवार्ड पारित किया गया था, जिसके अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी ने न्यायाधिकरण के सिन्डीकेट बैंक के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि मुब. 9,08,228/- रु. जमा कर दी है। प्रार्थीगण उक्त जमाशुदा धनराशि उठा पाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि उक्त याचिका में जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को दिलाए जाने की कृपा की जाए। प्रार्थीगण ने समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती वती देवी का शपथपत्र, प्रार्थीगण के आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की हैं।

प्रार्थीगण न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. 268/2018 श्रीमती वती देवी आदि बनाम समयदीन आदि की पत्रावली व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती वती देवी ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय से कोई स्थगन नहीं है और न ही अपील विचाराधीन है। मूल पत्रावली पर उपलब्ध एम.ए.सी.पी. सं. 268/2018 में पारित निर्णय दिनाँकित 28.08.2020 के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत याचिका में मुब 7,93,938/- रु. मय 7.5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज हेतु एवार्ड प्रार्थीगण/याचीगण को दिलाए जाने हेतु पारित किया गया है, जिसमें से सभी याचीगण को बराबर-बराबर धनराशित प्राप्त होनी है तथा प्रत्येक याची का 75 प्रतिशत भाग किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अधिकतम ब्याज देने वाली सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिये निवेशित किया जाना है जिसका मासिक ब्याज वह प्राप्त करते रहेंगे तथा यह सावधि जमा न तो बंधक की जा सकेगी और न ही इस पर ऋण प्राप्त किया जा सकेगा। शेष 25 प्रतिशत भाग प्रत्येक याचीगण का उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक मोड से स्थानान्तरित किया जाना है। कार्यालय आख्या के अनुसार यू.टी.आर.नं. AXISP00144270561 Dt. 07.09.2020 के अनुसार मुब. **9,08,228**/- रु. सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी में जमा हैं। अतः प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त एवार्ड के अनुसार उक्त जमाशुदा क्षतिपूर्ति की धनराशि मुब. 9,08,228/- रु. प्रार्थीगण/याचीगण जरिये एफ.डी.आर. व आर.टी.जी.एस./नेफ्ट द्वारा उनके बैंक खाते में स्थानान्तरित किये जाने योग्य है।

आदेश

सिन्डीकेट बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. 268/2018 (प्रकीर्ण वाद सं.144/2020 श्रीमती वती देवी आदि बनाम समयदीन आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant/ petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Mrs. Bati Devi	170293	18.75	FD for 3 Years Monthly Interest of which shall be paid in her a/c	----------	Any Nationalized Bank	----------
1. Mrs. Bati Devi	56764	6.25	Elect. Mode RTGS/NEFT	58320100001395	Bank of Baroda Bhaidraj Bara Bazar Ghass Mandi, Jhansi	BARB0BBJHAN
2. Narendra	170293	18.75	FD for 3 Years	----------	Any Nationali	----------

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.01 16:54:44 IST
Reason: Presiding Officer
Location: MACT JHANSI

			Monthly Interest of which shall be paid in her a/c		zed Bank	
2. Narendra	56764	6.25	Elect. Mode RTGS/NEFT	58320100001396	Bank of Baroda Bhaidraj Bara Bazar Ghass Mandi, Jhansi	BARB0BBJHAN
3. Rahul Kushwaha	170293	18.75	FD for 3 Years Monthly Interest of which shall be paid in her a/c	----------	Any Nationalized Bank	----------
3. Rahul Kushwaha	56764	6.25	Elect. Mode RTGS/NEFT	58320100001427	Bank of Baroda Bhaidraj Bara Bazar Ghass Mandi, Jhansi	BARB0BBJHAN
4. Archana Kushwaha	170293	18.75	FD for 3 Years Monthly Interest of which shall be paid in her a/c	----------	Any Nationalized Bank	----------
4. Archana Kushwaha	56764	6.25	Elect. Mode RTGS/NEFT	58320100002387	Bank of Baroda Bara Bazar, Jhansi	BARB0BBJHAN
Total	908228	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। 3बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।